



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 2 मई, 1997

वैशाख 12, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 469 / सत्रह-वि-1-1 (क) 3/1997

लखनऊ, 2 मई, -1997

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 1 मई, 1997 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1997]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 संक्षिप्त नाम कक्षा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा यथा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में—

(क) खण्ड (छछ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्—

“(छछछ) ‘विकास फीस’ का तात्पर्य ऐसी फीस से है जो किसी व्यक्ति या निकाय पर विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र में सड़क, नाली, मल निकासी तन्त्र, विद्युत आपूर्ति और जल सम्भरण तन्त्र के निर्माण कराने के लिए धारा 15 के अधीन उद्गृहीत की जाय. ”

(ख) खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्—

“(झझ) ‘नामांतरण प्रभार’ का तात्पर्य ऐसे प्रभार से है जो किसी ऐसे व्यक्ति पर प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित किसी सम्पत्ति का अपने नाम में नामांतरण कराने के लिए धारा 15 के अधीन उद्गृहीत की जाय, ”

(ग) खण्ड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्—

“(टट) ‘अम्बार फीस’ का तात्पर्य ऐसी फीस से है जो किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय पर, जो प्राधिकरण की भूमि पर या किसी सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर भवन निर्माण सामग्री रखने के लिए धारा 15 के अधीन उद्गृहीत की जाय, ”

(घ) खण्ड (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्—

(ठठ) ‘जल फीस’ का तात्पर्य ऐसी फीस से है जो किसी व्यक्ति या निकाय पर प्राधिकरण द्वारा सम्भरित जल का निर्माण संक्रिया या भवन के निर्माण में उपयोग करने के लिए धारा 15 के अधीन उद्गृहीत की जाय,

धारा 15 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 15 में,—

(क) उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

“(2-क) प्राधिकरण विकास फीस, नामांतरण प्रभार, अम्बार फीस और जल फीस को ऐसी रीति से और ऐसी दर पर जो विहित की जाय, उद्गृहीत करने का हकदार होगा :

परन्तु किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसे प्राधिकरण द्वारा विकसित न किया जा रहा हो या विकसित न किया गया हो, उद्गृहीत अम्बार फीस की धनराशि स्थानीय प्राधिकारी जिसकी स्थानीय सीमा में ऐसा क्षेत्र स्थित हो, को अन्तर्गत कर दी जायेगी,

(ख) उप-धारा (3) में, वर्तमान परन्तुकों के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्—

“परन्तु यह भी कि उपाध्यक्ष धारा 14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा देने के पूर्व उप-धारा (2-क) के अधीन उद्गृहीत फीसों और प्रभारों को जमा करा सकेगा ”

(ग) उप धारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

“(9) उप-धारा (3) के अधीन अनुज्ञा दिये जाने के पश्चात् यदि किसी भी समय उपाध्यक्ष का यह समाधान हो जाय कि ऐसी अनुज्ञा सारवान दुर्व्यपदेशन या कपटपूर्ण कथन या सूचना के फलस्वरूप दे दी गयी थी तो ऐसी अनुज्ञा को लिखित रूप में अभिलिखित कारणों से निरस्त कर सकता है और उसके अधीन किया गया कोई कार्य बिना ऐसी अनुज्ञा के किया गया समझा जायेगा :

परन्तु कोई भी अनुज्ञा संबंधित व्यक्ति या निकाय को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना निरस्त नहीं की जायेगी।”

4—मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

नई धारा 15-क का
बढ़ाया जाना

“15—क (1) प्रत्येक व्यक्ति या निकाय जिसे धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रदान की गयी हो, अनुमोदित मानचित्र के अनुसार विकास पूर्ण करेगा और प्राधिकरण को विकास पूर्ण करने की लिखित नोटिस भेजेगा और प्राधिकरण, से विहित, या प्राधिकरण की उपविधि में दी गयी रीति से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा :

परन्तु यदि विकास पूर्ण करने की नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् तीन मास के भीतर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किया जाता है और उसके अस्वीकृत किये जाने की सूचना नहीं दी जाती है तो यह समझा जायेगा कि प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया गया है।”

(2) कोई व्यक्ति, किसी वाणिज्यिक भवन पर, न तो कब्जा करेगा या न कब्जा करने की अनुज्ञा देगा या उस भवन का या उसके किसी भाग का जिस पर किसी निर्माण कार्य का प्रभाव पड़ता है, न प्रयोग करेगा या न प्रयोग करने की अनुज्ञा देगा, जब तक—

(क) प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी न कर दिया जाय, या

(ख) प्राधिकरण, ने विकास पूरा होने की सूचना प्राप्त होने के तीन मास तक, अपनी उक्त अनुज्ञा अस्वीकृत करने की सूचना न भेजी हो।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद “वाणिज्यिक भवन” का वही तात्पर्य है जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में उसके लिए दिया गया है।

5—मूल अधिनियम की धारा 18 में,—

धारा 18 का संशोधन

(क) उप धारा (4) में, शब्द “पट्टाकर्ता पट्टे का समपहरण कर सकता है” के स्थान पर, शब्द “पट्टाकर्ता, उपधारा (4-क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पट्टे का समपहरण कर सकता है” रख दिये जायेंगे ;

(ख) उप धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्,—

“(4-क) जब कोई पट्टेदार उप धारा (4) के अधीन अनुबद्ध समय और बढ़ाये गये समय, यदि कोई हो, के भीतर निर्माण करने में असफल रहता है जिससे कि कुल अवधि, पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष से अधिक हो जाती है, तो पट्टाकर्ता द्वारा उससे संबंधित भूमि के प्रचलित बाजार मूल के दो प्रतिशत की दर से प्रत्येक वर्ष प्रभार वसूल किया जायेगा और यदि उक्त प्रभार के अधिरोपण के दिनांक से पांच वर्ष की अग्रतर अवधि व्यतीत हो जाती है तो पट्टा समपहत हो जायेगा और पट्टाकर्ता भूमि पर पुनः प्रवेश कर लेगा :

परन्तु जहां उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के पूर्व पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी हो या जहां ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् एक वर्ष के भीतर पांच वर्ष की अवधि समाप्त होती हो तो ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रभार वसूली योग्य होगा।

6—मूल अधिनियम की धारा 26 में,—

धारा 26 का संशोधन

(क) उप धारा (1) में, शब्द “दस हजार रुपये” और “पांच सौ रुपये” के स्थान पर क्रमशः शब्द “पचास हजार रुपये” और “दो हजार पांच सौ रुपये” रख दिये जायेंगे,

(ख) उप धारा (2) में, शब्द “पांच हजार रुपये” और “दो सौ पचास रुपये” के स्थान पर क्रमशः शब्द “पच्चीस हजार रुपये” और “एक हजार दो सौ पचास रुपये” रख दिये जायेंगे।

7—मूल अधिनियम की धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्—

नई धारा 26-क, 26-
ख, 26-ग और 26-
घ का बढ़ाया जाना

“26-क (1) जो कोई किसी विकास क्षेत्र में, किसी भूमि पर, जो निजी सम्पत्ति न हो, चाहे सार्वजनिक भूमि पर उक्त भूमि प्राधिकरण की हो या उसमें निहित हो या न हो, अधिकरण या वाधा किसी सार्वजनिक मार्ग की नाली पर सीढ़ियों को छोड़कर, अधिकरण करता है, साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।

(2) उप धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(3) जो कोई किसी विकास क्षेत्र में किसी मार्ग या भूमि पर, जो निजी सम्पत्ति न हो, चाहे उक्त मार्ग या भूमि, प्राधिकरण की हो या उसमें निहित हो या न हो, किसी सार्वजनिक मार्ग की नाली पर सीढ़ियां या किसी सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर भवन निर्माण सामग्री ऐसी अवधि के दौरान रखने जिसकी अनुमति अम्बार फीस के भुगतान पर दी गयी हो को छोड़कर, भवन निर्माण सामग्री या अन्य कोई चीज रखकर या जमा करके या अन्य किसी प्रकार कोई बाधा पहुंचाता है, साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) यदि यह विश्वास करने का आधार हो कि किसी व्यक्ति ने किसी विकास क्षेत्र में किसी भूमि पर, जो कि निजी सम्पत्ति नहीं है, कोई अधिक्रमण किया है या बाधा पहुंचायी है तो प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी अधिक्रमण करने वाले या बाधा पहुंचाने वाले व्यक्ति से यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील करेगा कि उससे, पन्द्रह दिन से अन्यून ऐसी अवधि जैसी कि नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय, के भीतर अधिक्रमण या बाधा हटाने की अपेक्षा क्यों न की जाय और ऐसे व्यक्ति द्वारा बताये गये कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, लिखित रूप में अभिलिखित किये गये कारणों सहित ऐसे अधिक्रमण या बाधा को हटाने का आदेश दे सकता है :

परन्तु उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पूर्व निर्बल वर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक भूमि पर किया गया कोई अधिक्रमण तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे, ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी विहित की जाय, पुनर्वास करने के लिए आनुकल्पिक भूमि या वास-सुविधा प्रस्तावित न कर दी जाय।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद—

(1) "निर्बल वर्ग के किसी व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है—

(क) जिसके कुटुम्ब के पास उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित किसी नगर में या उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में यथा परिभाषित किसी नगर पालिका क्षेत्र में कोई स्थावर सम्पत्ति न हो, और

(ख) जिसकी जीविका का मुख्य साधन स्वयं अपना या अपने कुटुम्ब के सदस्य का शारीरिक श्रम है, जिसमें किसी शिल्प का व्यवसाय भी सम्मिलित है, और इसमें रिक्शा चालक या सफाईकार भी सम्मिलित है किन्तु इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जिस पर आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आयकर या उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के अधीन व्यापार कर या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन बिक्रीकर निर्धारित किया गया है।

(2) निर्बल वर्ग के किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में "कुटुम्ब" का तात्पर्य यथास्थिति, पति या पत्नी और दोनों में से किसी एक या दोनों के अविवाहित अवयस्क सन्तान से है।

(5) पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को इस धारा में यथा उपबंधित कार्यवाही करने के साथ-साथ इस धारा में निर्दिष्ट भूमि पर पायी गयी या यथास्थिति, ऐसी भूमि से संलग्न या ऐसी भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप से बंधी हुई किसी सम्पत्ति को कुर्क या अभिग्रहीत करने की शक्ति भी प्राप्त होगी।

(6) जब प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा कोई सम्पत्ति अभिग्रहीत या कुर्क की जाय तो वह ऐसे अभिग्रहण या कुर्क की सूचना तुरन्त प्राधिकरण को देगा।

(7) प्राधिकरण अभिग्रहण की कार्यवाही के समाप्त होने तक अभिग्रहीत या कुर्क की गयी सम्पत्ति की उचित अभिरक्षा के लिये ऐसा आदेश, जैसा वह उचित समझे कर सकता है और यदि वह सम्पत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है, तो प्राधिकरण उसके विक्रय या उसका अन्यथा व्ययन किये जाने के लिये आदेश कर सकता है।

(8) जब किसी सम्पत्ति का यथा उपर्युक्त विक्रय किया जाता है, तो उस विक्रय से संबंधित व्ययों, यदि कोई हो, और अन्य आनुषंगिक व्ययों की कटौती करने के पश्चात् विक्रय आगम का—

(क) जब प्राधिकरण द्वारा अधिहरण का आदेश अन्ततः पारित न किया जाय, या

(ख) अपील में पारित किसी आदेश द्वारा यह अपेक्षा की जाय।

भुगतान उसके स्वामी या उस व्यक्ति को, जिससे उसको अभिग्रहीत या कुर्क किया गया हो, कर दिया जायेगा।

(9) जहां उप-धारा (5) के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण या कुर्की की जाय तो प्राधिकरण ऐसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश दे सकता है।

(10) उपधारा (9) के अधीन किसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि ऐसी सम्पत्ति के स्वामी या उस व्यक्ति, जिससे उसको अभिग्रहीत या कुर्क किया गया हो, को—

(क) उन आधारों, जिन पर सम्पत्ति का अधिहरण प्रस्तावित हो, की सूचना देते हुए लिखित रूप में एक नोटिस न दे दी जाय,

(ख) ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, अधिहरण के आधारों के विरुद्ध एक लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर न दिया जाय, और

(ग) इस विषय में सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय।

(11) इस धारा के अधीन अधिहरण का कोई आदेश किसी ऐसे दण्ड के अधिरोपण में, जिसका इससे प्रभावित व्यक्ति अधिनियम के अधीन दायी हो, बाधक न होगा।

(12) उप-धारा (9) के अधीन दिये गये किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश के उसे संसूचित किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर, जिला जज को उसके विरुद्ध अपील कर सकता है।

(13) ऐसी अपील पर जिला जज, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसको वह उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, की पुष्टि, उपान्तरण या अपास्त करने के लिये उचित समझे और अपील लम्बित रहने तक उस आदेश का कार्यान्वयन, ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है।

26-ख (1) धारा 26-क की उपधारा (4) के अधीन बाधा या अधिक्रमण हटाये जाने से धारा 26-क के व्यथित व्यक्ति बाधा या अधिक्रमण हटाये जाने के दिनांक से तीस अधीन हटाये जाने दिन के भीतर या तो प्राधिकरण या बाधा या अधिक्रमण हटाये के लिये प्रतिकर जाने का आदेश देने वाले अधिकारी या दोनों के विरुद्ध अधिक्रमण का दावा के समक्ष प्रतिकर या प्रत्यास्थापन या दोनों के लिए और ऐसे हटाये जाने के कारण उसे हुई हानि के लिए ऐसे अधिकारी को वैयक्तिक रूप से दायी ठहराने के लिए दावा कर सकता है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए धारा 26-क की उपधारा (4) में यथा उपबंधित अधिक्रमण या बाधा के हटाये जाने वाले क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला जिला जज, अधिकरण होगा।

(3) किसी प्रतिकर के भुगतान के लिये या किसी अचल सम्पत्ति के प्रत्यास्थापन के लिए अधिकरण का प्रत्येक आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री समझी जायगी और उसी रूप में उसका निष्पादन होगा:

परन्तु यदि अधिकरण किसी अधिकारी के विरुद्ध वैयक्तिक रूप से प्रतिकर अधिनिर्णीत करता है तो प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह संबंधित अधिकारी के वेतन या अन्य देयों से प्रतिकर की धनराशि वसूल करे और उसका भुगतान दावेदार को करे।

(4) अधिकरण की कार्यवाहियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थात्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जायगी।

(5) अधिकरण को इस धारा के अधीन किसी दावे का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिये वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में, किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति को समन करने और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने;

(ख) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करने;

(ग) किसी अचल सम्पत्ति या उसके परिक्षेत्र का निरीक्षण करने या साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा या स्थानीय अन्वेषण के लिये कमीशन जारी करने;

(घ) दस्तावेजों को प्रकट करने और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने;

(ङ) किसी विधिपूर्ण करार, समझौता या तुष्टि को अभिलिखित करने और तदनुसार आदेश देने;

(च) कोई अन्य विषय-जो विहित किया जाय।

(6) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।”

26-ग—प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी बिना नोटिस प्राधिकरण किसी ऐसी दिये निम्नलिखित को हटा सकता है :-

वस्तु को जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके निर्मित की जाय या जमा की जाय, बिना नोटिस के हटा सकता है।

(क) कोई ऐसी दीवाल, मेड़, कठघरा, खम्भा, सीढ़ी, छप्पर या अन्य ढांचा चाहे वह स्थिर हो या चल और चाहे वह स्थायी प्रकार का हो या अस्थायी या कोई ऐसा स्थापक जो किसी सड़क में या उसके ऊपर या किसी खुली नाली, पनाली, कुएं या तालाब पर या उसके ऊपर इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल निर्मित या संस्थापित किया जाय;

(ख) कोई दुकान, कुर्सी, बेंच, बक्स, सीढ़ी, सामान का गट्टर तख्ता या अलमारी या अन्य कोई भी वस्तु जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके किसी स्थान पर रखी गयी हो, किसी स्थान में जमा की गई हो, किसी स्थान से बाहर निकली हो, किसी स्थान से संलग्न हो या किसी स्थान पर लटका दी गयी हो।

26-घ—जो कोई, जिसे इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम, नियम या उपविधियों अतिक्रमण न रोकने के के अधीन अतिक्रमण या बाधा को रोकने या निवारित लिए शास्ति करने का कर्तव्य विशेष रूप से सौंपा गया है, ऐसे अतिक्रमण या बाधा को, रोकने या निवारित करने से स्वेच्छापूर्वक या जानबूझकर अपेक्षा करता है, या जानबूझकर छोड़ देता है तो उसे साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।”

8—मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

“28-क (1) यथास्थिति, उपाध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी अनाधिकृत विकास को के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह धारा 27 या सील बन्द करने की शक्ति धारा 28 के अधीन किसी विकास क्षेत्र में किसी विकास को हटाने या रोकने का आदेश देने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी समय ऐसे विकास को, ऐसी रीति से, जो इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये विहित की जाय, सील बन्द करने का निदेश देते हुए कोई आदेश दें।

नई धारा 28-क का
बढ़ाया जाना

(2) जहां कोई विकास सील बन्द कर दिया जाय तो, यथास्थिति, उपाध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी ऐसे विकास को हटाने या रोकने के लिए सील को हटाने का आदेश दे सकता है।

(3) उपाध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी आदेश के सिवाय, कोई व्यक्ति ऐसी सील को नहीं हटायेगा।

(4) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन दिये गये किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति उस आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष को अपील कर सकता है और अध्यक्ष, अपील के पक्षकारों को सुनने के पश्चात् या तो अपील को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

(5) अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।"

9—मूल अधिनियम की धारा 32 में, उपधारा (1) में, ---

धारा 32 का संशोधन

(क) शब्द "प्राधिकरण द्वारा (अथवा उस द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा)" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा" रख दिये जायेंगे,

(ख) शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिया जायगा।

10—मूल अधिनियम की धारा 33 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बद्ध दी जायगी, अर्थात्--

धारा 33 का संशोधन

"(4-क) जहाँ प्राधिकरण अपने द्वारा विकसित किसी क्षेत्र में कोई सुख-सुविधा उपलब्ध करे, तो प्राधिकरण, जब तक धारा 34 में यथा उपबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसे बनाये रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर न ली जाय भूमि या भवन के स्वामी से उसके लिये ऐसी सुख-सुविधा को बनाये और जारी रखने के लिये उपगत व्ययों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रभार, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा नियत किये जायं, विहित रीति से वसूल करने का हकदार होगा।"

11—मूल अधिनियम की धारा 59 में,—

धारा 59 का संशोधन

(1) (क) शब्द और अंक "संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916" और "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959" जहाँ कहीं भी आये हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916" और "उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959" रख दिये जायेंगे; और

(ख) शब्द "नगर महापालिका" जहाँ कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "नगर निगम" रख दिये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम, 1961" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

रविन्द्र दयाल माथुर,

प्रमुख सचिव।

No. 469 (2)/XVII-V-1-1 (KA) 3/1997

Dated Lucknow, May 2, 1997

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Yojna Aur Vikas (Sanshodhan) Adhinyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 3 of 1997) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 1, 1997.

THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT

(AMENDMENT) ACT, 1997

[U.P. ACT NO. 3 OF 1997]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in Forty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 1997.

Amendment of section 2 of President's Act no. 11 of 1973 as re-enacted by U.P. Act no. 30 of 1974

2. (1) In section 2 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act,—

(a) after clause (gg), the following clause shall be inserted, namely:—

“(ggg) ‘development fee’ means the fee levied upon a person or body under section 15 for construction of road, drain, sewer line, electric supply and water supply lines in the development area by the Development Authority;”;

(b) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:—

“(ii) ‘mutation charges’ means the charges levied under section 15 upon the person seeking mutation in his name of a property allotted by the Authority to another person;”;

(c) after clause (k), the following clause shall be inserted, namely:—

“(kk) ‘stacking fees’ means the fees levied under section 15 upon the person or body who keeps building materials on the land of the Authority or on a public street or public place;”;

(d) after clause (l), the following clause shall be inserted, namely:—

“(ll) ‘water fees’ means the fees levied under section 15 upon a person or body for using water supplied by the Authority for building operation or construction of buildings.”

3. In section 15 of the principal Act,—

Amendment of
section 15

(a) after sub-section (2) the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(2-A) The Authority shall be entitled to levy development fees, mutation charges, stacking fees and water fees in such manner and at such rates as may be prescribed :

Provided that the amount of stacking fees levied in respect of an area which is not being developed or has not been developed, by the Authority, shall be transferred to the local authority within whose local limits such area is situated.”

(b) In sub-section (3), after the existing provisos the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that before granting permission, referred to in section 14 the Vice-Chairman may get the fees and the charges levied under sub-section (2-A) deposited” ;

(c) after sub-section (8) the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(9) If at any time after the permission has been granted under sub-section (3), the Vice-Chairman is satisfied that such permission was granted in consequence of any material mis-representation made or any fraudulent statement or information furnished, he may cancel such permission, for reasons to be recorded in writing and any work done thereunder shall be deemed to have been done without such permission :

Provided that a permission shall not be cancelled without affording to the person or body concerned a reasonable opportunity of being heard.”

4. After section 15 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Insertion of new
section 15-A

“15-A (1) Every person or body having been granted permission under sub-section (3) of section 15, shall complete the developments according to the approved plan and send a notice in writing of such completion to the Authority, and obtain a completion certificate from the Authority in the manner prescribed or provided in the Bye-laws of the Authority :

Provided that if completion certificate is not granted and refusal to grant it is not intimated within three months after receipt of the notice of completion, it shall be deemed that the completion certificate has been granted by the Authority.

(2) No person shall occupy or permit to be occupied any commercial building or use or permit to be used such building or part thereof affected by any work until—

(a) completion certificate has been issued by the Authority, or

(b) Authority has failed for three months after the receipt of the notice of completion to intimate its refusal to grant of the said certificate.

Explanation :— For the purposes of this section the expression “commercial building” shall have the meaning assigned to it in the Uttar Pradesh Municipal Corporations Act, 1959.”

Amendment of
section 18

5. In section 18 of the principal Act,—

(a) In sub-section (4), for the words "the lessor may forfeit," the words "the lessor may, subject to the provisions of sub-section (4-A), forfeit" shall be substituted:

(b) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:—

(4-A) where a lessee fails to make construction within the stipulated time, and the extended time, if any, under sub-section (4) so that the total period from the date of lease exceeds five years, a charge at the rate of two percent of the prevailing market value of the concerned land shall be realised every year from him by the lessor and if from the date of imposition of the said charge a further period of five years elapses, the lease shall stand forfeited and the lessor shall re-enter upon the land:

Provided that where the period of five years has expired before the commencement of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 1997, or where the period of five years expires within one year after such commencement, the charge shall be realizable after a period of one year from the date of such commencement.

Amendment of
section 26

6. In section 26 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1) for the words "ten thousand rupees" and "five hundred rupees" the words "fifty thousand rupees" and "two thousand and five hundred rupees" respectively shall be substituted.

(b) in sub-section (2) for the words "five thousand rupees" and "two hundred and fifty rupees" the words "twenty-five thousand rupees" and "one thousand two hundred and fifty rupees" respectively shall be substituted.

Insertion of new
sections 26-A,
26-B, 26-C and
26-D

7. After section 26 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—

"26-A (1) Whoever makes any encroachment on any land not being private property, whether such land belongs to or vests in the authority or not in a development area, except steps over drain in any public street, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which may extend to twenty thousand rupees.

(2) Any offence punishable under sub-section (1) shall be cognizable.

(3) Whoever by placing or depositing building material or any other thing whatsoever, or otherwise makes any obstruction in any street or land not being private property, whether such street or land belongs to or vests in the Authority or not in a development area, except steps over drain in any public street, or placing of building material during such period as may be permitted on payment of stacking fees on a public street or public place, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

(4) If there are grounds to believe that a person has made any encroachment or obstruction on a land in a development area which is not a private property the Authority or an officer authorised by it in this behalf may serve upon the

person making encroachment or obstruction, a notice requiring him to show cause why he shall not be required to remove the encroachment or obstruction within such period not being less than fifteen days as may be specified in the notice, and after considering the cause, if any, shown by such person, may order removal of such encroachment or obstruction for reasons to be recorded in writing.

Provided that any encroachment made on public land by a person belonging to weaker section on or before the date of commencement of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 1997 shall not be removed until alternative land or accommodation is offered to rehabilitate him in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed:

Explanation—For the purposes of this section, the expression—

(1) 'a person belonging to weaker section' means a person—

(a) whose family on the date of commencement of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 1997 does not hold any immovable property in any city as defined in the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 or any Municipal Area as defined in the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, and

(b) whose principal source of livelihood is manual labour, including the practice of any craft, either by himself or by the members of his family and includes a rickshaw-puller or scavenger, but does not include a person who has been assessed to Income Tax under the Income Tax Act, 1961 or trade tax under the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 or Sales Tax under the Central Sales Tax Act, 1956.

(2) 'family', in relation to a person belonging to weaker section, means the husband or wife, as the case may be, and unmarried minor children either or both of them.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions the Authority or the officer authorised by it in this behalf shall, in addition to the action taken as provided in this section, also have power to seize or attach any property found on the land referred to in this section or, as the case may be, attached to such land or permanently fastened to anything attached to such land.

(6) Where any property is seized or attached by an officer authorised by the Authority he shall immediately make a report of such seizure or attachment to the Authority.

(7) The Authority may make such orders as it thinks fit for the proper custody of the property seized or attached, pending the conclusion of confiscation proceedings, and if the property is subject to speedy and natural decay, or it is otherwise expedient so to do the Authority may order it to be sold or otherwise disposed off.

(8) Where any property is sold as aforesaid, the sale proceeds, after deducting the expenses, if any, of such sale and other incidental expenses relating thereto, shall—

(a) where no order of confiscation is ultimately passed by the Authority, or

(b) where an order passed in appeal so requires, be paid to the owner thereof or the person from whom it is seized or attached.

(9) Where any property is seized or attached under sub-section (5), the Authority may order confiscation of such property.

(10) No order for confiscation of any property shall be made under sub-section (9) unless the owner of such property or the person from whom it is seized or attached is given,—

(a) a notice in writing, informing him of the grounds on which it is proposed to confiscate the property;

(b) an opportunity of making a representation in writing within such reasonable time as may be specified in the notice against the grounds of confiscation; and

(c) a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(11) Any order of confiscation under this section shall not prevent the infliction of any punishment to which the person affected thereby may be liable under the Act.

(12) Any person aggrieved by an order made under sub-section (9) may within one month from the date of the communication to him of such order, appeal against it to the District Judge.

(13) On such appeal, the District Judge may, after giving an opportunity to the appellant and the respondent of being heard, pass such order as he may think fit confirming, modifying or setting aside the order appealed against, and pending appeal, may stay the operation of such order on such terms, if any, as he thinks fit.

26-B.(1) Any person aggrieved by the removal of obstruction or encroachment under sub-section (4) of section 26-A may claim for compensation for removal under section 26-A within thirty days from the date of such removal or prefer a claim for compensation or restitution or both before the Tribunal against either the Authority, or the officer ordering the removal or against both, and for making such officer personally liable for the loss caused to him due to such removal.

(2) The District Judge having territorial jurisdiction over the area in which the removal of encroachment or obstruction as provided in sub-section (4) of section 26-A has taken place shall be the Tribunal for the purposes of this section.

(3) Every order of the Tribunal for payment of any compensation or for the restitution of any immovable property shall be deemed to be a decree of the Civil Court and shall be executable as such :

Provided that if the Tribunal awards any compensation against any officer personally, it shall be the duty of the Authority to realise the amount from the salary or other dues of the officer concerned and to pay it to the claimant.

(4) The proceedings before the Tribunal shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.

(5) The Tribunal shall for the purpose of deciding a claim under this section, have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit in respect of the following matters, namely,—

- (a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath ;
- (b) Receiving evidence on affidavits ;
- (c) Inspecting any immovable property or its locality, or issuing commission for the examination of witnesses or documents or local investigation ;
- (d) Requiring the discovery and production of documents;
- (e) Recording a lawful agreement, compromise or satisfaction and making an order in accordance therewith;
- (f) Any other matter which may be prescribed.

(6) The decision of the Tribunal shall be final.

26-C The Authority or an officer authorised by it in this behalf may, without Authority may, notice, cause to be removed—
without notice
remove anything
erected or deposited
in contravention of
Act.

(a) Any wall, fence, rail, post, step, booth or other structure whether fixed or movable and whether of a permanent or a temporary nature or any fixture which shall be erected, or set up in or upon or over any street or upon or over any open channel, drain, well or tank contrary to the provisions of this Act;

(b) Any stall, chair, bench, box, ladder, bale, board or shelf or any other thing whatever placed, deposited, projected, attached or suspended in, upon, from or to any place in contravention of this Act.

26-D Whoever specially entrusted with the duty to stop or prevent the Penalty for not encroachment or obstruction under this Act or any preventing other Act, rules or bye laws willfully or knowingly encroachment neglects or deliberately omits to stop or prevent such encroachment or obstruction shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both."

8. After section 28 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Insertion of new section 28-A

"28-A (1) It shall be lawful for the Vice-Chairman or an officer empowered by Power to seal an authorised development him in this behalf, as the case may be, at any time before or after making an order for the removal or discontinuance of any development under section 27 or section 28 to make any order directing the sealing of such development in a development area in such manner as may be prescribed for the purposes of carrying out the provisions of this Act.

(2) Where any development has been sealed, the Vice-Chairman or the officer empowered by him in this behalf, as the case may be, may, for the purpose of removing or discontinuing such development order the seal to be removed.

(3) No person shall remove such seal except under an order made under sub-section (2) by the Vice-Chairman, or the officer empowered by him in this behalf.

(4) Any person aggrieved by an order made under sub-section (1) or sub-section (2) may appeal to the Chairman against that order within thirty days from the date thereof and the Chairman may after hearing the parties to the appeal, either allow or dismiss the appeal.

(5) The decision of the Chairman shall be final."

Amendment of
Section 32

9. In section 32 of the principal Act, in sub-section (1),—

(a) for the words "the authority (or any officer authorised by it in that behalf by general or special order)", the words "the Vice-Chairman (or any officer authorised by him in that behalf by general or special order)", shall be substituted;

(b) for the words "the Authority", the words "the Vice-Chairman" shall be substituted.

Amendment of
Section 33

10. In section 33 of the principal Act, after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(4-A) Where the authority provides any amenity in an area developed by it, the authority shall, till the responsibility for maintenance is assumed by the local authority as provided in section 34, be entitled to recover, in the manner prescribed, from the owner of the land or building, such charges therefor as may be fixed by the State Government, by a notified order, having regard to the expenses incurred for maintaining and continuing to provide such amenity."

Amendment of
Section 59

11. In section 59 of the principal Act,—

(1) (a) for the words and figures "the United Provinces Municipalities Act, 1916," and "the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959" wherever occurring, the words and figures, "the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916" and "the Uttar Pradesh Municipal Corporations Act, 1959" respectively shall be substituted; and

(b) for the words "Nagar Mahapalika", wherever occurring the words "Municipal Corporation" shall be substituted;

(2) In sub-section (1), in clause (a), for the words and figures "the Uttar Pradesh Kshetra Samiti and Zila Parishads Adhiniyam, 1961", the words and figure "the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961" shall be substituted.

By order,
R. D. MATHUR,
Pramukh Sachiv.